न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– मुकेश कुमार चौधरी, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली)

वाद संख्या:–55/प्रा0पत्र/2017

1. मुरली मनोहर आयु 13 वर्ष पि0 स्व. श्री निर्मल कुमार जाति मीणा निवासी नाडाहेत तहसील हिण्डोली जिला बून्दी नाबा0 जर्ये संरक्षक दादी बदाम बाई बेवा धन्नालाल जाति मीणा निवासी नाडाहेत तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।

प्रार्थीगण

बनाम

1. ब्रह्मा बाई पत्नि विजयशंकर आयु 40 वर्ष जाति मीणा निवासी ग्राम काबुल तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
2. देवराज आयु 40 वर्ष आ0 धन्ना जाति मीणा निवासी नाडाहेत तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
3. कमलेश आयु 35 वर्ष पुत्री धन्ना जाति मीणा निवासी नाडाहेत तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
4. सुमित्रा आयु 30 वर्ष पुत्री धन्ना जाति मीणा निवासी नाडाहेत तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
5. श्रीमान सरपंच साहब ग्राम पंचायत बडौदिया तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।

अप्रार्थीगण

अपील विरूद्व नामान्तकरण संख्या 136 दिनांक 15.08.2007
वाके ग्राम नाडाहेत तहसील हिण्डोली जिला बून्दी
अपील अंतर्गत धारा :– 75(1) लेण्ड रेवेन्यू एक्ट

निर्णय दिनांक :– 31/07/2019

निर्णय

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम नाडाहेत की भूमि खसरा संख्या 892, 894, 900, 904, 962, 963, 982 कुल किता 7 कुल रकबा 20 बीघा 7 बिस्वा वाके ग्राम नाडाहेत में स्थित है। भूमि के सह खातेदार धन्ना आत्मज हरदेव की मृत्यु व धन्ना के पुत्र निर्मल कुमार की मृत्यु पर नामान्तकरण संख्या 136 दिनांक 15.08.2007 को ग्राम पंचायत बडौदिया द्वारा तस्दीक किया गया है जिसमें निर्मल कुमार की पत्नि ब्रह्माबाई के नाम भी नामान्तकरण तस्दीक कर दिया गया है। निर्मल कुमार की दिनांक 06.05.2005 को मृत्यु हुई है ओर निर्मल कुमार की मृत्यु से 2 वर्ष पूर्व ही ब्रह्मा बाई अन्यन्त्र नाते चली गई थी। ऐसी स्थिति में निर्मल कुमार की मृत्यु पर नामान्तकरण केवल उसके पुत्र के नाम ही दर्ज किया जाना चाहिये था, लेकिन निर्मल कुमार की पत्नि ब्रह्मा बाई के नाम भी नामान्तकरण तस्दीक किया गया। उक्त नामान्तकरण से असंतुष्ट होंकर अपीलांट निम्न वजूहात सहित अपील प्रस्तुत करता है –यह कि ग्राम पंचायत बडोदिया द्वारा पारित नामान्तकरण आदेश दिनांक 15.08.2007 वस्तुस्थिति एवं विधान एवं प्रकिया के सर्वथा विपरीत होने से निरस्तीय है। खातेदार धन्ना के परिवार का पीढी वृक्ष निम्न प्रकार से है। (अपील में दर्ज अनुसार)। कानूनन पति के जीवनकाल में पत्नी के नाते चली जाने से पति की संपति में पत्नी का कोई हक शेंष नही रहता है। ब्रहमाबाई के नाते जाने

Scanned by CamScanner

वाला तथ्य सर्वविदित होने के बावजूद ग्राम पंचायत ने नामान्तकरण तस्दीक कर दिया है जो निरस्तनीय है। मृतक निर्मल कुमार के हिस्से की अपीलाधीन भूमि पर ब्रहमाबाई का वर्ष 2003 में नाते जाने के बाद कोई कब्जा काश्त नही रहा है। ग्राम पंचायत द्वारा नामान्तकरण तस्दीक किये जाने से पूर्व निर्मल कुमार के वारिसान की सही जांच नही की है और जांच किये बिना ही उक्त नामान्तकरण तस्दीक कर दिया है जो खारिज किये जाने योग्य है। उक्त नामान्तकरण तस्दीक किये जाने से पूर्व अपीलांट को कोई सुनवाई का अवसर प्रदान नही किया गया है जिससे अपीलांट के सुनवाई के नैसर्गिक अधिकारों का हनन हुआ है। अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना खोला गया उक्त नामान्तकरण खारिज किये जाने योग्य है। रेस्पो0 संख्या 1 ब्रहमाबाई वर्ष 2003 से ग्राम काबुल निवासी अपने पति विजयशंकर के साथ निवास कर रही है जिसके साथ सहवास से ब्रहमाबाई के दो संताने भी पैदा हो चुकी है ऐसी स्थिति में मृतक निर्मलकुमार के हिस्से की भूमि में ब्रहमाबाई के नाम खोला गया नामान्तकरण अवैध एवं निरस्तनीय है। अपीलांट नाबालिंग है जो अपनी दादी की संरक्षता में रहता है तथा दादी अनपढ महिला है जिसको उक्त नामान्तकरण का ज्ञान नही था। अपीलांट की दादी ने अपने हिस्से की भूमि पर बैंक से ऋण लेने हेतु नकले निकलवाने पर प्रथम बार निर्मल कुमार के हिस्से की भूमि पर ब्रहमाबाई के नाम नामान्तकरण दर्ज करने की जानकारी हुई है तब अपलांट ने दिनांक 15.05.17 को उक्त नामान्तकरण की नकल प्राप्त की है और नकल प्राप्त होते ही यह अपील अंतर्गत अवधि मध्य श्रीमान के न्यायालय में पेश है। अवेध आदेश को चेलेंज करने की कोई समय सीमा नही होती है। अपीलांट ने यह अपील नामान्तकरण की जानकारी मिलते ही अविलम्ब श्रीमान के यहां पेश कर दी है फिर भी यदि विलम्ब माना जावं तो विलम्ब को क्षमा किये जाने हेतु धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पृथक से प्रस्तुत है। उक्त नामान्तकरण आदेश ग्राम पंचायत बडौदिया द्वारा तस्दीक किया गया है जो तहसील हिण्डोली में श्रीमान के न्याय क्षेत्राधिकार में होने से यह अपील श्रीमान के यहां पेश की जा रही है। ग्राम पंचायत के आदेश के विरूद्व धारा 75(1–डी) ले0रे0 एक्ट के तहत श्रीमान को उक्त अपील को श्रवणाधिकार प्राप्त है। उक्त नामान्तकरण धन्ना की मृत्यु पर धन्ना के वारिस देवराज, कमलेश, सुमित्रा के नाम भी खोला गया है जो उक्त प्रकरण में आवश्यक पक्षकार है जिन्हे आवश्यक पक्षकार के रूप में रेस्पो0 2 लगायत 4 पक्षकार बनाये गये है। अपील निर्धारित न्याय शुल्क पर पेश है।

अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि ग्राम नाडाहेत की भूमि खसरा संख्या 892, 894, 900, 904, 962, 963, 982 कुल किता 7 कुल रकबा 20 बीघा 7 बिस्वा पर मृतक निर्मल कुमार के स्थान पर ब्रहमाबाई के नाम खोला गया नामान्तकरण संख्या 136 निरस्त किया जावें एवं साथ ही राजस्व रिकार्ड में से निर्मल कुमार के हिस्से की भूमि पर से ब्रहमाबाई का नाम विलोपित किया जावें। अन्य न्यायोचित सहायता प्रदान की जावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेंट को जर्ये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेंट संख्या 2, 3, 4 निम्न जवाब पेश करते है।

1. यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 स्वीकार है।
2. यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 पीढी वृक्ष स्वीकार है।
3. यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 3 स्वीकार है।
4. यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 4 स्वीकार है।
5. यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 5 स्वीकार है।
6. यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 6 स्वीकार है।
7. यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 7 स्वीकार है।
8. यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 8 स्वीकार है।

Scanned by CamScanner

9. यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 9 स्वीकार है।
10. यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 10 स्वीकार है।
11. यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 11 स्वीकार है।
12. यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 12 कानूनी है।

अन्य आक्षेप – यह कि ग्राम नाडाहेत की भूमि खसरा संख्या 892, 894, 900, 904, 962, 963, 982 कुल किता 7 कुल रकबा 20 बीघा 7 बिस्वा पर मृतक निर्मल कुमार के स्थान पर ब्रहमाबाई के नाम खोला गया नामान्तकरण संख्या 136 निरस्त किया जावे एवं साथ ही राजस्व रिकोर्ड में से निर्मल कुमार के हिस्से की भूमि पर से ब्रहमाबाई का नाम विलोपित किया जावे व उसके स्थान पर अपीलांट का नाम दर्ज किया जावें।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जर्ये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेट संख्या 2, 3 व 4 की ओर से महेश नामा एडवोकेट ने जवाब प्रस्तुत कर अपील अपीलांट स्वीकार करने में कोई आपत्ति नही करने अंकित किया। रेस्पोडेंट संख्या 1 व 5 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गयें।

हमने वकील अपीलांट की बहस पर मनन किया। प्रकरण में सम्पूर्ण तथ्यों के विवेचन से स्पष्ट है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 ब्रहमा बाई जो निर्मल कुमार की पत्नि थी व निर्मल कुमार की मृत्यु से 2 वर्ष पूर्व ही अन्यत्र नाते चली गई थी। नाते चले जाने के उपरान्त ब्रहमा बाई का निर्मल कुमार व उसके परिवार से सम्बन्ध समाप्त हो गया। रेस्पोडेंट संख्या 1 के नाम खोला गया नामान्तरण संख्या 136 दिनांक 15.08.2007 न्यायोचित प्रतीत नही होता है। ब्रहमा बाई के उसके पति की मृत्यु से पूर्व अन्यत्र नाते जाना जाहिर आया है जिससे उसके पति की मृत्यु के उपरान्त उसके नाम दर्ज किया गया नामान्तकरण संख्या 136 गलत तस्दीक किया गया है जो निरस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर नामान्तकरण संख्या 136 निर्णय दिनांक 15.08.2007 ग्राम नाडाहेत निर्णय द्वारा ग्राम पंचायत बडौदिया निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार हिण्डोली को निर्देश दिये जाते है कि वे मृतक निर्मल कुमार पि0 धन्ना मीणा निवासी नाडाहेत के वारिसान के सम्बन्ध में पुनः जांच कर विधिसम्मत नामान्तकरण पारित करें। पत्रावली फेसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(मुकेश कुमार चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Kumar Choudhary
Date: 2020.03.13 14:53:47 IST
Reason: SelfAttested
Location: